जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत राज्य/निकाय स्तर पर डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड के गठन हेतु कान्सेप्ट नोट पर अभिमत एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2013 को अपरान्ह 1.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः-

सर्वश्री-

1- सी.बी. पालीवाल, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2- वीरेश कुमार, प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- बी.एस. भुल्लर, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- धीरज साहू, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- राजीव अग्रवाल, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- आलोक कुमार, महानिरीक्षक(निबंधन), उ0प्र0।
8- श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- कौशल राज शर्मा, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- श्याम कृष्ण, विशेष सचिव, स्टाम्प/रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
11- अनिरूद्ध सिंह, अ.वि.प. न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- नरेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
13- पार्थ सारथी शेन शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0प्र0।
14- उमा शंकर सिंह, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- पी.के. पाण्डेय, अपर महानिरीक्षक (निबन्धन), उ0प्र0।
16- कर्ण सिंह चौहान, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा।
17- एस.के. पाण्डेय, विशेष कार्याधिकारी(स्टाम्प)।
18- अनूप कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
19- सुखेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, लेखा, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड के गठन के सम्बन्ध में हुई प्रगति से अवगत कराया गया। अवगत कराया गया कि जेएनएनयूआरएम के यूआईजी कार्यान्श के नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन हेतु परियोजना के नियोजन, सुधार तथा प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित यूनिफाईड मैट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की दिनांक 03.09.2012 को सम्पन्न बैठक में डेडिकेटेड अरबन ट्रासंपोर्ट के गठन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स में क्या व्यवस्था है, फण्ड कैसे गठित होगा तथा इसे किन किन कार्यो में व्यय किया जायेगा। इसके संबंध में एक उपसमिति बनाकर एक कान्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया जाय। कान्सेप्ट पेपर में नोएडा/ग्रेटर नोएडा के नगरीय परिवहन को भी शामिल किया जाय। तदनुक्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3451/नौ-5-2012- 83सा/2009 टीसी दिनांक 26.10.2012 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया।

2- उक्त उपसमिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.12 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में अर्बन मास ट्रांजिट कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड के संबंध में उपलब्ध कराए गए कान्सेप्ट पेपर के प्रारम्भिक ड्राफ्ट पर निम्नवत् विचार-विमर्श हुआ तथा निम्नवत् संस्तुति की गई :-

(1) वाहनों के क्रय पर लगने वाले लेवी या सेस में अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इसे "स्टेट अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड" में रखा जाय।

(2) ईधन के प्रत्येक एकाउन्टिंग यूनिट के विक्रय पर 0.05 अतिरिक्त लेवी अथवा सेस लगाकर इसे "स्टेट अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड" में रखा जाय।

(3) परिसम्पत्तियों के क्रय एवं विक्रय पर लगने वाले स्टाम्प डयूटी पर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त लेवी लगाकर इसे सिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में रखा जाय।

(4) सर्किल रेट पर आधारित एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त लेवी को "स्टेट अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड" में रखे जाने पर विचार किया जाय।

(5) डेवलपमेन्ट चार्जेज, बेटरमेन्ट लेवी तथा स्वीकृति/ले आउट प्लान्स की स्वीकृति, भूमि उपयोग के परिवर्तन पर लगने वाले शुल्क/दरों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त लेवी को "सिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड" में रखे जाने पर विचार किया जाय।

(6) नगर निगमों में पार्किंग राजस्व को जारी रखते हुए इसे सम्बन्धित नगर निगम के पक्ष में रखा जाय।

(7) एस.पी.वी. के स्वामित्व की आस्तियों तथा उनके प्रबन्धन की सम्पत्तियों पर किये जाने वाले विज्ञापनों पर प्राप्त लेवी को एस.पी.वी. के अन्तर्गत रखा जाय।

(8) उक्त के अतिरिक्त बसों के सभी डिपो (Depot) पर वाणिज्यिक गतिविधियों की सम्भावनाएं तलाश कर उनका तद्नुसार विकास करने का भी मत स्थिर हुआ।

(9) राज्य स्तरीय व शहर विशेष (**City Specific**) हेतु पृथक्-पृथक् डेडिकेटड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड (DUTF) सृजित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

(10) बसों के ईधन पर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु Sinking Fund का भी उक्त में से इंगित करने (Mark) की संस्तुति की गयी है।

(11) उक्त फण्ड का 15 प्रतिशत Soft Activities पर तथा 85 प्रतिशत Harder **Activities** पर व्यय किये जाने की संस्तुति की गयी।

3- नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत गठित होने वाले डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड के स्रोत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा की गयी उपर्युक्त संस्तुतियों के सम्बन्ध में बिन्दुवार विचार-विमर्श के क्रम में निम्नानुसार मत स्थिर किया गया :-

(1) नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत केवल राज्य स्तर पर 'डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड' का गठन किया जायेगा।

(2) ईधन के प्रत्येक एकाउन्टिग यूनिट के विक्रय पर 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाकर इसे स्टेट डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में रखा जायेगा।

(3) नागर निकाय क्षेत्रान्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के साथ वसूली गयी 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि में से 0.5 प्रतिशत धनराशि स्टेट डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में रखा जायेगा।

(4) राज्य स्तर पर गठित होने वाले डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड के प्रबन्धन हेतु नियमावली तैयार की जायेगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि उक्त फण्ड की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं तथा फण्ड से किन-किन मदों पर व्यय किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार-विमर्श तथा संस्तुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

सी. बी. पालीवाल
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 3839/नौ-5-2013-83सा/2009टीसी
लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, वित्त/परिवहन/आवास एवं शहरी नियोजन/औद्योगिक विकास/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन/कर एवं निबन्धन/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- श्री गौरव दयाल, विशेष सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
6- महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- उप सचिव, नगर विकास अनुभाग-5
10- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/इलाहाबाद/मेरठ।
11- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मथुरा।
12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।